दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यासाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शुक्रवार 15 नवम्बर 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 48

महत्वपूर्ण एवं खास

फैक्ट्री में गैस लीक के बाद 100 से अधिक श्रमिक अस्पताल में भर्ती

बालासोर (आरएनएस)। ओडिशा के बालासोर के खंटापारा क्षेत्र में एक फैक्ट्री में क्लोरिन गैस के लीक होने के कारण 100 से अधिक श्रमिकों को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झींगा मछली प्रोसेसिंग फैक्ट्री में कल रात गैस लीक से प्रभावित सभी श्रमिकों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उन्हें जिला मुख्यालय अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। जिला प्रशासन ने दावा किया है कि अस्साल में भर्ती सभी श्रमिकों की हालत स्थिरत है। प्रशासन ने घटना की जांच का आदेश दिया है। घटना के बाद फैक्ट्री को सील कर लिया गया है और इसके कम से कम तीन अधिकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अभी घटना के कारण का पता लगाया जाना बाकि है। प्रारंभिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि गैस के क्षमता से अधिक मात्रा में भरे जाने की वज से गैस लीक हुआ।

चौकीदार चोर है पर राहुल को सुप्रीम कोर्ट ने दी नसीहत

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में फैसला सुनाते हुए उनकी माफी को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया को बंद कर दिया है। वहीं ऐसे लोगों को चेतावनी दी हैए जो बिना सोचे.समझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अपने राजनीतिक हित साधते हैं। अदालत ने राहुल गांधी को भविष्य के लिए चेताया। आपको बता दें कि चौकीदार चोर है बयान पर राहुल ने माफी मांग ली थी। शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी के माफीनामे को स्वीकार करते हुए राहुल गांधी को नसीहत दी कि भविष्य में कोर्ट से जुड़े किसी भी मामले में किसी भी प्रकार का राजनीतिक भाषण देने में सतर्कता बरतें। अदालत ने राफेल मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए शीर्ष अदालत का नाम लिया था। जिसे लेकर ही पूरा विवाद था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोईए जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिए लंबित इस मामले पर 10 मई को सुनवाई पूरी कर ली थी।

राफेल पर कांग्रेस ने अनिल अंबानी से मांगी माफी!

नई दिल्ली (आरएनएस)। राफेल विमान सौदे पर सुप्रीम कोर्ट ने इस सौदे पर सवाल खड़े करने वाली सभी पुनर्विचार याचिकाओं को सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है। फैसले के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आ रही हैंए इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा ने इस मसले पर ट्वीट किया है और अनिल अंबानी से माफी मांगी है। संजय झा ने अनिल अंबानी के खिलाफ टीवी डिबेट में बयान देने पर माफी मांगी। हालांकि ये माफी एक तंज के रूप में ही रही। संजय झा ने ट्वीट कर लिखा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे पर फैसला दे दिया हैए तो मैं टीवी शो के दौरान लगाए गए आरोपों के लिए सार्वजनिक तौर पर अनिल अंबानी से माफी मांगना चाहूंगा कि सर जी आप सत्यनिष्ठाए पारदर्शिता और ईमानदारी के अवतार हैं। सर जीए प्लीज माफ करें।

झारखंड में राहुल, सोनिया व मनमोहन करेंगे प्रचार

नई दिल्ली (आरएनएस)। हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अपने प्रयासों को लेकर आलोचना के बाद कांग्रेस ने झारखंड में नवंबर के अंत में होने वाले चुनावों में बड़े स्तर पर प्रचार का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधीए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में महासचिव प्रियंका गांधी का नाम नहीं है। पार्टी हरियाणा व महाराष्ट्र के मनोबल बढ़ाने वाले नतीजों के बाद अपने को चुनावों के लिए मजबूत कर रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर हाल में संपन्न हुए चुनावों के दौरान पर्याप्त रूप से कोशिश नहीं करने का आरोप लगाया गया है। हरियाणा में राहुल गांधी ने दो बार चुनाव प्रचार किया और महाराष्ट्र में उन्होंने पांच रैलियों को संबोधित किया।

अब सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की पीठ करेगी सुनवाई

» सबरीमाला मंदिर मामला

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को सबरीमाला मंदिर मामले को सुनवाई के लिए सात जजों की पीठ के पास भेज दिया है। हालांकि न्यायालय ने बड़ी पीठ में सुनवाई के बाद फैसला आने तक अपना पूर्व में दिया गया फैसला लागू रखने का निर्णय दिया है।

सीजेआई ने गुरुवार को कहा कि पूजा स्थलों में महिलाओं का प्रवेश केवल इस मंदिर तक सीमित नहीं है। यह महिलाओं के मस्जिदों और परसी मंदिर में प्रवेश को लेकर भी है। याचिकाकर्ताओं का उद्देश्य धर्म और विश्वास पर बहस को पुनर्जीवित करना था। पीठ ने कहा कि धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध केवल सबरीमला तक ही सीमित नहीं है बल्कि अन्य धर्मों में भी ऐसा है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अपनी ओर से तथा न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की ओर से फैसला पढ़ा। शीर्ष अदालत ने 3रू2 के बहुमत से पुनर्विचार याचिकाओं को बड़ी बेच को स्थानांतरित किया है। जस्टिस फली नरीमन और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इसपर असहमति जताई। मंदिर के अंदर महिलाओं के प्रवेश पर बड़ी बेंच का फैसला आने तक अदालत का पूर्ववर्ती फैसला लागू रहेगा। पीठ ने कहा कि सबरीमलाए मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश और दाऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं में खतना जैसे धार्मिक मुद्दों पर फैसला वृहद पीठ लेगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता धर्म और आस्था पर बहस फिर से शुरू करना चाहते हैं। सबरीमला मामले पर फैसले में न्यायमूर्ति आरएफ नरिमन और डीवाई चंद्रचूड़ की राय अलग थी।

मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक का हवाला देते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को सबरीमला जैसे धार्मिक स्थलों के लिए एक समान नीति बनाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे धार्मिक मुद्दों पर सात न्यायाधीशों की पीठ को विचार करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सबरीमला मामले में पुनर्विचार समेत सभी अन्य याचिकाएं उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजीं। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2018 को 4 के मुकाबले एक के बहुमत से फैसला दिया था जिसमें केरल के सुप्रसिद्ध अयप्पा मंदिर में 10 वर्ष से 50 की आयुवर्ग की लड़कियों एवं महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक को हटा दिया गया था।

भारतीय सेना की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुईं लेफ्टिनेट कर्नल ज्योति शर्मा

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय सेना में पहली बार किसी महिला न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा को भारतीय सेना की महिला न्यायाधीश एडवोकेट जनरल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह सैन्य कानूनी विशेषज्ञ के रूप में पूर्वी अफ्रीकी देश सेशेल्स की सरकार को अपनी सेवाएं देंगी।

यह पहला मौका है जब भारतीय सेना में किसी महिला न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि इससे पहले किसी भी महिला को न्यायाधीश के तौर पर भारतीय सेना में नियुक्त नहीं किया गया था। ज्योति शर्मा विदेश से जुडे मामले देखेंगी। गौरतलब है कि भारत में न्यायाधीश एडवोकेट जनरल अधिकारी का पद सेना के लेफ्टिनेंट को दिया जाता है। ये सेना का न्यायिक प्रमुख होते हैं। भारतीय सेना की

न्यायाधीश एडवोकेट जनरल एक अलग शाखा है। इसमें कानूनी रूप से योग्य सेना के अधिकारी शामिल होते है। गौरतलब है कि एडवोकेट जनरल अधिकारी सभी तरह से सेना को कानूनी मदद देते हैं।

शादीशुदा महिलाओं का सेना में प्रतिबंध- गौरतलब है कि भारतीय सेना ने अपनी कानूनी शाखा न्यायाधीश एडवोकेट जनरल में आवेदन करने के लिए विवाहित महिलाओं पर प्रतिबंध लगाया है। इसे लेकर अदालत में याचिका भी दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में सेना ने अपने पक्ष को सही ठहराया।

आधार में पता अलग होने पर भी खुल सकेगा बैंक में खाता

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र की मोदी सरकार ने लोगों को बैंक में खाता खोलने में आने आ रही परेशानियों को देखते हुए एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि आधार कार्ड में पता अलग होने पर भी केवल एक स्वघोषणा पत्र देकर लोग खाता खुलवा सकते हैं।

अधिसूचना के मुताबिक अब जो लोग अपना केवाईसी के लिए आधार नंबर दे रहे हैं और पता कोई और देना चाहते हैंए जो आधार कार्ड पर लिखे पते से अलग है तो एक स्वघोषणा पत्र देकर अपना दूसरा पता दे सकेंगे। सरकार के इस फैसले से मूल निवास से दूर रहने वाले या दूसरी जगह काम करने वाले लाखों कामगारों को फयदा होगा। बुधवार को जारी राजपत्रित अधिसूचना के अनुसारए मनी लॉन्ड्रिंग यसूचनाओं का रख.रखावद्ध रोकथाम अधिनियम में संशोधन कर ये बदलाव किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि ऐसे कामगार जहां रहते हैं उन्हें बैंक खाता खोलने में दिक्कत होती थी क्योंकि आधार पर पता उनके घर का होता था और काम किसी दूसरे शहर में करते थे। सरकार ने प्रवासियों को बैंक खाता खुलवाने में सहूलियत देने तथा वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। इस पहल के लिए कई क्षेत्रों से लंबे समय से मांग की जा रही थी।

सुको ने दी मोदी सरकार को क्लीनचिट, सभी पुनर्विचार याचिकाएं की खारिज

» राफेल सौदे की नहीं होगी कोई जांच

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने 14 राफेल लड़ाकू विमान के सौदे को बरकरार रखते हुए अपने 14 दिसंबर 2018 को दिए फैसले के खिलाफ दाखिल समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया।

केंद्र सरकार को राहत देते हुए मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि इसकी अलग से जांच करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने केंद्र की दलीलों को तर्कसंगत और पर्याप्त बताते हुए माना कि केस के मेरिट को देखते हुए इसमें दोबारा जांच के आदेश देने की जरूरत नहीं है। न्यायालय ने कहाए श्हमें नहीं लगता कि राफेल विमान सौदा मामले में प्राथमिकी दर्ज करने या बेवजह जांच का आदेश देने की जरूरत है।श् अदालत ने 14 दिसंबर 2018 को राफेल खरीद प्रक्रिया और सरकार द्वारा इंडियन ऑफसेट पार्टनर के चुनाव में भारतीय कंपनी को फेवर किए जाने के आरोपों की जांच करने का अनुरोध करने वाले सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि फैसला लेने की प्रक्रिया में कहीं भी शक करने की गुंजाइश नहीं है।

याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था कि अदालत का फैसला गलत तथ्यों के आधार पर है क्योंकि केंद्र सरकार ने सीलबंद लिफाफे में अदलात के सामने गलत तथ्य पेश किए थे। यहां तक की सरकार ने खुद ही फैसले के अगले दिन 15 दिसंबर 2018 को अपनी गलती सुधारते हुए दोबारा आवेदन दाखिल किया था। गौरतलब है कि पिछले साल अदालत ने 59 हजार करोड़ के राफेल सौदे में हुई कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच वाली मांग को खारिज कर दिया था। राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 को दिए अपने फैसले में भारत की केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी थी।

पीएम मोदी ने 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्रासीलिया में बुधवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चेन्नई में दूसरी अनौपचारिक बैठक में उनकी मेजबानी करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की और कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों द्वारा किए गए स्वागत को नहीं भूलेंगे। उन्होंने 2020 में चीन में तीसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया। मुलाकात की तारीख और जगह राजनयिक माध्यम से निर्धारित की जाएगी।

चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और निवेश से संबंधित मामलों पर संवाद बनाए रखने के महत्व पर सहमति जताई। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को शंघाई में चीन के निर्यात-आयात प्रदर्शनी में भारत की भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार और अर्थव्यवस्था पर नए उच्च स्तरीय तंत्र के शीघ्र विकसित करने पर सहमति जताई।

दोनों नेताओं ने अगले साल दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारियों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने कहा कि इससे लोगों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे।

दोनों नेताओं ने कहा कि सीमा से संबंधित मामलों पर विशेष प्रतिनिधियों की एक और बैठक होगी। दोनों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी ने डब्ल्यूटीओ, ब्रिक्स और आरसीईपी जैसे बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार साझा किए।

आनंद ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह को कोर्ट का नोटिस

» सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए लॉयर्स कलेक्टिल एनजीओ के संस्थापक सदस्य. वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह को नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने शीर्ष अदालत में बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें एजेंसी को उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से रोका गया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है। सीबीआई ने वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह के खिलाफ विदेशी अंशदायीय विनियमनद्ध अधिनियम यएफसीआरएद्ध के उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज की है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोईए न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने दोनों वरिष्ठ अधिवक्ताओं और गैर सरकारी संगठन को नोटिस जारी किए। जांच आयोग का कहना था कि उच्च न्यायालय ने आरोपी पक्षकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बारे में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला कि यह कानून की नजर में गलत है और न ही ऐसे किसी फैसले का हवाला दिया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रखना किस तरह से कानून के खिलाफ है।

गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन

» आइंस्टीन के सिद्धांत को दी थी चुनौती

नई दिल्ली (आरएनएस)। महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना में निधन हो गया है। वे 77 साल के थे। सिंह करीब 40 साल से सिजोफ्रेनिया बीमारी से पीड़ित थे। यहां राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने उनके निधन पर शोक जताते हुए श्रद्धांजलि दी है। हरिवंश ने लंबे समय से बीमार चल रहे मशहूर गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के निधन पर अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा है वशिष्ठ नारायण सिंह अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ज्ञान और मेधा की दुनिया में भारत की ओर से वे एक चमकते सितारे थे। उनके निधन से वह सितारा अस्त हो गया। पर गणित की दुनिया में किए गए अपने मौलिक काम की वजह से वह हमेशा ज्ञान की दुनिया में अमर रहेंगे। हरिवंश ने वशिष्ठ बाबू को याद करते हुए कहा कि पत्रकारिता करते हुए वह जिस अखबार में काम करते थेए उस अखबार के जरिये न सिर्फ वशिष्ठ बाबू पर विशेष सामग्री का प्रकाशन कई बार किये.करवाये थेए बल्कि जब उनकी तबियत खराब हुई थी तो इलाज के सहयोग के लिए नागरिकों से आर्थिक सहयोग करने का आह्वान भी किये थे। अभियान भी चलाये थेए जिसका असर हुआ था और लोगों ने सहयोग किया था।

नीतीश ने जताया शोक

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर शोक जताते हुए इसे समाज और बिहार के लिए एक बड़ा नुकसान बताया। उनके एक करीबी ने बताया कि फिलहाल पटना में रहने वाले सिंह की आज सुबह तबीयत खराब हो गई थी।

प्रगति मैदान में 39वां ट्रेड फेयर का नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के प्रगति मैदान में 39वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद नितिन गडकरी ने कई स्टॉल पर जाकर मेले का जायजा भी लिया। आईटीपीओ प्रशासन का कहना है कि यह व्यापार मेला प्लास्टिक और प्रदूषणमुक्त होगा।

उन्होंने कहा कि हम हमेशा से प्लास्टिक फ्री मेला को प्रोत्साहित करते आए हैं। प्रदर्शनी परिसर को स्वच्छ रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रदूषण को देखते हुए प्रगति मैदान में एयर प्यूरिफायर प्रणाली को लगाया गया है। इसके साथ ही लोगों से प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने और गंदगी न फैलाने की लगातार अपील की जाएगी। आगंतुकों की सुविधा के लिए आईटीपीओ ने कई कदम उठाये हैं। यहां डाकघरए बैंकों और एटीएम के अलावा व्हीलचेयर के साथ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायक काउंटर की व्यवस्था होगी।

39वें ट्रेड फेयर में इस बार सिर्फ3 गेटों से मिलेगा प्रवेश

इस बार निर्माण कार्य के कारण व्यापार मेला परिसर के एक चौथाई हिस्से में ही लगाया जा रहा है। इस बार हाल संख्या 7 से 12ए के बीच विश्व व्यापार मेला लगेगा। मेले में शुरुआती पांच दिन व्यापारियों के लिए हैं। इन दिनों की टिकट आम दिनों से महंगा होगा। इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन ने दर्शकों को किसी तरह की परेशानी न हो इसका पूरा ध्यान रखा है।

शनिवार और रविवार को टिकट महंगा होगा

प्रगति मैदान में सभी व्यावसायिक दिनों में टिकट का दाम 500 रुपये है। वयस्कों के लिए 120 रुपये और बच्चों का टिकट 60 रुपये का होगा। आम दिनों में बच्चों के लिये 40 रुपये तथा वयस्कों के लिये 60 रुपये टिकट होगा। व्यवसायियों के लिए प्रवेश टिकट 500 रुपये प्रति व्यक्ति जबकि पूरे सत्र का एकमुश्त टिकट 1800 रुपये होगा। आम दर्शकों के लिए 19 नवंबर से मेला खुलेगा।